डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय आदेश

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के अधिनियम, 2009 की धारा (5)(दो) में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत सेण्ट्रल पब्लिक स्कूल (पूर्व में सेण्ट्रल वीमेन्स कॉलेज ऑफ एजूकेशन), सेक्टर–8, रजनीखण्ड, शारदा नगर योजना, लखनऊ (इन्स्टीट्यूट ऑफ लिटरेसी डेवलपमेण्ट, ई–1824, राजाजीपुरम, लखनऊ के अधीन संचालित) को विश्वविद्यालय के पत्र सं0–161 / 412 / एफ22 / DSMNRU-18 / सम्बद्धता / 2017–18, दिनांक 27.12.2017 द्वारा शर्तों–प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से स्ववित्त–पोषित योजनान्तर्गत B.Ed.Spl.Ed.(HI), B.Ed.(Gen.) पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। उक्त संस्था द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2018–19 में संचालित करने के लिए सम्बद्धता विस्तारीकरण हेतु आवेदन किया गया, तत्क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक : 1172 / पत्रा.सं.–412ए / सम्बद्धता / DSMNRU / 2018–19, दिनांक 17.10.2018 द्वारा वांछित मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सम्बद्धता विस्तारीकरण नहीं किया गया।

उक्त संस्था द्वारा सम्बद्धता विस्तारीकरण हेतु किये गये पुर्न आवेदन के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर से स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा दिनांक 03.09.2019 को स्थलीय निरीक्षण में मानक के अनुरूप न पाये जाने पर, सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक द्वारा संस्था के स्थलीय निरीक्षण में असहयोग करते हुए निरीक्षण दल को निरीक्षण करने से मना कर दिया गया। इस क्रम में निरीक्षण दल द्वारा अपनी आख्या में सम्बन्धित संस्था को सम्बद्धता विस्तारीकरण करने की संस्तुति नही की गयी, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति ने शैक्षिक सत्र 2019–20 में संगत पाठ्यक्रम के संचालन हेतु उक्त संस्था को सम्बद्धता विस्तारीकरण न करते हुए भविष्य में किसी भी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता हेतु नवीन आवेदन (निर्धारित अद्यतन नियमों व शर्तों के अधीन) करने का निर्णय लिया गया।

अतः स्ववित्त–पोषित योजनान्तर्गत B.Ed.Spl.Ed.(HI), B.Ed.(Gen.) पाठ्यक्रमों हेतु उक्त संस्था द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराये जाने से मना करने एवं चिन्हित स्थलों को मानकानुसार नहीं पाये जाने के कारण शैक्षणिक सत्र 2019–20 में पाठ्यक्रम संचालन सम्बन्धी आवेदन पत्र का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक : 1669 / फा0सं0–412 / 22 / DSMNRU / सम्बद्धता / 2019–20 — दिनांक 25 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 कुलपति, विश्वविद्यालय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद, बी–22, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110016।
3. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
8. प्रबन्धक / सचिव / प्राचार्य, इन्स्टीट्यूट ऑफ लिटरेसी डेवलपमेण्ट, ई–1824, राजाजीपुरम, लखनऊ के अधीन संचालित सेण्ट्रल पब्लिक स्कूल (पूर्व में सेण्ट्रल वीमेन्स कॉलेज ऑफ एजूकेशन), सेक्टर–8, रजनीखण्ड, शारदा नगर योजना, लखनऊ (उ0प्र0)।
5. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

प्राप्त 01/11/2019

25/10/2019

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा (5)(दो) में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत सेण्ट्रल पब्लिक स्कूल, सेक्टर–8, रजनीखण्ड, शारदा नगर योजना, लखनऊ (इन्स्टीट्यूट ऑफ लिटरेसी डेवलपमेण्ट, ई–1824, राजाजीपुरम, लखनऊ के अधीन संचालित) को विश्वविद्यालय के पत्र सं0–169/412/एफ12/DSMNRU-17/सम्बद्धता/2017–18, दिनांक 06.02.2018 द्वारा शर्तों–प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से स्ववित्त–पोषित योजनान्तर्गत B.El.Ed. पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2018–19 में संचालन से पूर्व आवश्यक मूलभूत सुविधाओं/संसाधनों एवं फैकल्टी सम्बन्धित मानक व कमियों को दो माह में पूर्ण किये जाने का समय प्रदान किया गया था, जिसके क्रम में सम्बन्धित संस्था से दिनांक 14.02.2018 को प्राप्त सूचना के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा पुनः स्थलीय निरीक्षण किये जाने पर मानकानुसार नहीं पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय के पत्रांक : 1173/पत्रा.सं.–412ए/सम्बद्धता/DSMNRU/2018–19, दिनांक 17.10.2018 द्वारा वांछित मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सम्बद्धता प्रदान नहीं की गयी।

उक्त संस्था द्वारा किये गये पुर्न आवेदन के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर से स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा दिनांक 03.09.2019 को स्थलीय निरीक्षण में मानक के अनुरूप न पाये जाने पर, सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक द्वारा संस्था के स्थलीय निरीक्षण में असहयोग करते हुए निरीक्षण दल को निरीक्षण करने से मना कर दिया गया। इस क्रम में निरीक्षण दल द्वारा अपनी आख्या में सम्बन्धित संस्था को सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति नही की गयी, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति ने शैक्षिक सत्र 2019–20 में संगत पाठ्यक्रम के संचालन हेतु उक्त संस्था को सम्बद्धता प्रदान न करते हुए भविष्य में किसी भी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता हेतु नवीन आवेदन (निर्धारित अद्यतन नियमों व शर्तों के अधीन) करने का निर्णय लिया गया।

अतः स्ववित्त–पोषित योजनान्तर्गत B.El.Ed. पाठ्यक्रम हेतु उक्त संस्था द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराये जाने से मना करने एवं चिन्हित स्थलों को मानकानुसार नहीं पाये जाने के कारण शैक्षणिक सत्र 2019–20 में पाठ्यक्रम संचालन सम्बन्धी आवेदन पत्र का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक 1670 / फा0सं0–412/12/DSMNRU/सम्बद्धता/2019–20 दिनांक 25 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 कुलपति, विश्वविद्यालय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद, बी–22, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110016।
3. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य, इन्स्टीट्यूट ऑफ लिटरेसी डेवलपमेण्ट, ई–1824, राजाजीपुरम, लखनऊ के अधीन संचालित सेण्ट्रल पब्लिक स्कूल, सेक्टर–8, रजनीखण्ड, शारदा नगर योजना, लखनऊ (उ0प्र0)।
6. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

01/11/2019

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव